# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 23/2025 बउनवानी शेरखान **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति.जिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र फकरूद्दीन मुसलमान निवासी खण्डार

**GCMS No-2025/96**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **17.4.2025** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 4.2..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर<u>*" 2023–2024 मे गिलाई सागर बांध एवं उसकी मुख्य नहर पर नरेगा के तहत करवाये गये कार्यो के संबंध मे 7 बिन्दुओं की सूचना "*</u> अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचंना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13()()/सूकाअ/2025/372 दिनांक 08.04.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 4.2.2025 को कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग खण्ड सवाईमाधोपुर से सूचना चाही गयी है इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत दिनांक 4.2.225 को प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त नही होने के कारण आवेदक को कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का संबंध लोक सूचनरा अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर कार्यालय से नही होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.2.2025 को प्रेषित प्रार्थना कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग सवाईमाधोपुर को सम्बोधित है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से नही होने के कारण उक्त सूचना उनके कार्यालय से उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में सक्षम ऑथर्टी के समक्ष प्रथम अपील पेश करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Shubham Chaudhary<br>Date: 2025.06.25 18:11:02 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(शुभम चौधरी)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Scanned with OKEN Scanner